बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – 09/उपा0/बीज (विविध)–25/2014 6200 /कृ0, पटना दिनांक 27-12-,2018

प्रेषक,

रविन्द्रनाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1113.85 लाख (ग्यारह करोड़ तेरह लाख पचासी हजार) रू0 की उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं केन्द्रांश मद में 597.21 लाख रू0 तथा राज्यांश मद में 398.14 लाख रू0 कुल 995.35 लाख (नौ करोड़ पनचानवें लाख पैंतीस हजार) रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 1113.85 लाख (ग्यारह करोड़ तेरह लाख पचासी हजार) रू0 की उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं केन्द्रांश मद में 597.21 लाख रू0 तथा राज्यांश मद में 398.14 लाख रू0 कुल 995.35 लाख (नौ करोड़ पनचानवें लाख पैंतीस हजार) रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–10–1/2018-SD VI दिनांक 08.08.2018 द्वारा 368.31 लाख रूपया वर्ष 2018–19 हेतु योजनान्तर्गत पुर्नवैधिकृत की गयी है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 10–8/2011–SD.VI दिनांक 07.09.18 द्वारा कुल 300.00 लाख रू0 (सामान्य वर्ग मद में 224.99 लाख रू0, अनुसूचित जाति वर्ग मद में 60.01 लाख रू0 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग मद में 15.00 लाख रू0) वर्ष 2018–19 में विमुक्त किया गया है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत 1113.85 लाख रू0 में से 118.50 लाख रू0 की योजना प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। वर्ष 2017–18 की अव्यवहृत अवशेष राशि 118.50 लाख रू0 (केन्द्रांश मद में 71.10 लाख रू0 एवं राज्यांश मद में 47.40 लाख रू0) की पूर्व में ही निकासी कर निगम के पी0एल0 खाता में उपलब्ध कराया जा चुका है। अतएव योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में 597.21 लाख रू0 एवं राज्यांश मद में 398.14 लाख रू0 कुल 995.35 लाख रू0 की हीं निकासी की जायेगी।

4. योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का विवरण निम्नप्रकार है–

A. बीज ग्राम योजना

(राशि लाख रूपये में)

फसल	बीज ग्राम की संख्या	किसान की सं0	बीज की मात्रा (क्वीं0 में)	स्वीकृत मूल्य दर (रू0/क्वीं0)	स्वीकृत अनुदान राशि (रू0/ क्वीं0)	बीज अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7
3. खरीफ 2018						
धान	1065	86393	11346	3500	1750	198.55

(रमेश प्रसाद यादव)

D:\New File Seed Report\Sanstion Order, Sanlekh & Abantan\2018-19\Beej gram 2018-19\Final Submision on Seed and planting material.docx

अरहर	0	0	0	0	0	0
किसान प्रशिक्षण	120 प्रशिक्षण समूह के लिए					18.00
योग						216.55
4. रबी 2018–19						
गेहूँ	849	84900	33960	3200	1600	543.36
चना	37	3700	1184	8000	4800	56.83
मसूर	77	7700	1232	8000	4800	59.14
मटर	20	1000	320	8000	4800	15.36
राई / सरसो	77	3850	77	7000	4200	3.23
किसान प्रशिक्षण	672.53 प्रशिक्षण समूह के लिए					100.88
योग						778.80
योग (बीज ग्राम खरीफ+रबी)						995.35
केन्द्रांश मद की राशि						597.21
राज्यांश मद की राशि						398.14
C. प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम मद में पुर्नवैधिकृत राशि (केन्द्रांश मद में 71.10 लाख +राज्यांश मद में 47.40 लाख रू0)						118.50
केन्द्रांश मद की राशि						71.10
राज्यांश मद की राशि						47.40
सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत कुल राशि (A+B)						1113.85
कुल केन्द्रांश मद की राशि						668.31
कुल राज्यांश मद की राशि						445.54

5. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजनान्तर्गत बीज ग्राम योजना एवं प्रमाणित बीज उत्पादन द्वारा बीज ग्राम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि की सहभागिता है।

6. योजना हेतु चयनित बीज ग्राम के चयनित किसानों को एक एकड़ के लिए धान, गेहूं, चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। योजना से संबंधित जिलावार, फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

7. योजनान्तर्गत धान एवं गेहूं के आधार/प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर तथा चना, मसूर, मटर एवं राई/सरसो के आधार/प्रमाणित बीज पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है। किसानों को उपलब्ध अधिकतम अनुदान स्वीकृत कार्यक्रम की कंडिका 5 की तालिका के कॉलम 5 में स्वीकृत अनुदान मूल्य दर के अनुसार किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत बीज मूल्य दर से बीज के मूल्य कम होने पर फसल के बीज के वास्तविक राशि का 50/60 प्रतिशत अनुदान ही उपलब्ध कराया जायेगा।

8. बीज ग्राम के किसानों को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा। एक समूह में 150 किसान को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक समूह के प्रशिक्षण पर 15000 रू0 व्यय अनुमान्य है।

9. योजनान्तर्गत बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा की जायेगी। निगम द्वारा किसानों को अनुदान राशि घटाकर बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत Aadhar Authentication (Biometric) के माध्यम से किसानों की पहचान कर बीज की उपलब्धता/बिक्री सुनिश्चित की जानी है। परन्तु खरीफ 2018 में Aadhar Authentication (Biometric) की व्यवस्था नहीं होने के कारण तत्काल बिहार राज्य बीज निगम लि0 के सम्बद्ध विक्रेता द्वारा किसान से आधार संख्या की छाया प्रति प्राप्त कर के हीं बीज की उपलब्धता/बिक्री की जायेगी। यह छुट केवल खरीफ 2018 की योजनाओं के लिए हीं अनुमान्य किया गया है। रबी 2018–19 की योजना में Aadhar Authentication (Biometric) के माध्यम से किसानों की पहचान कर बीज की उपलब्धता/बिक्री की जायेगी।

11. योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के किसान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों पर राशि व्यय 75:20:5 के अनुपात में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाना है।

12. योजनान्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूर्ति किये गये बीज के अनुदान मद की राशि का आवंटन कृषि निदेशक एवं किसान प्रशिक्षण मद की राशि का आवंटन संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को

उपलब्ध कराया जायेगा। बीज के अनुदान मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा एवं किसान प्रशिक्षण मद की राशि की निकासी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–3 के अनुसार किया जायेगा।

13. कृषि निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत बीज अनुदान मद की राशि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त फसलवार बीज वितरण प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर बिहार राज्य बीज निगम लि0 को किया जायेगा।

14. प्रमाणित बीज उत्पादन दलहन, तेलहन द्वारा बीज ग्राम योजना वर्ष 2018–19 का कार्यान्वयन बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किया जायेगा। प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0ए0 खाता संख्या–271 में 118.50 लाख रूपये उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त राशि से योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में नहीं हो सका था। उक्त अव्यवहृत अवशेष राशि 118.50 लाख रूपये से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2018–19 में किया जायेगा एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

15. योजना कार्यान्वयन अनुदेश में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

16. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि, स्वीकृत केन्द्रांश एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की निकासी की जाने वाली राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:– (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–103–बीज, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0218–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड–01–2401001030218, विषयशीर्ष– 0218.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम.एस. कोड–3031	501.22	471.68
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0249– सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड– 01–2401007890249,विषयशीर्ष–0249.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम.एस. कोड–3031	133.67	107.56
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0271–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड– 01–2401007960271, विषयशीर्ष–0271.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम.एस. कोड–3031	33.42	17.97
योग	**668.31**	**597.21**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–103–बीज, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0318–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड–01–2401001030318, विषयशीर्ष–0318.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम.एस. कोड–3031	334.15	314.45
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0349– सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड– 01–2401007890349, विषयशीर्ष– 0349.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम.एस. कोड–3031	89.11	71.71

मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0371–सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, विपत्र कोड– 01–2401007960371, विषयशीर्ष–0371.33.01–सब्सिडी, पी.एफ.एम. एस. कोड–3031	22.28	11.98
योग	**445.54**	**398.14**
सकल योग	**1113.85**	**995.35**

17. वित्त विभाग का संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–9/उपा0/बीज (विविध)–25/2014 के पृष्ठ संख्या–71/टि0 पर दिनांक 05.12.2018 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त्त सहमति संचिका संख्या–9/उपा0/बीज (विविध)–25/2014 के पृष्ठ संख्या–74/टि० पर दिनांक 14.12.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या 239 दिनांक 11.12.2018 है। उक्त सशर्त्त सहमति के आलोक में उक्त संचिका के पृष्ठ संख्या–76/टि0 पर दिनांक 20.12.2018 को प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
Rabindra 21.12.18
(रविन्द्रनाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 9/उपा0/बीज (विविध)–25/2015 6200 /कृ0, पटना दिनांक 27-12-2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 9/उपा0/बीज (विविध)–25/2015 6200 /कृ0, पटना दिनांक 27-12-2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 9/उपा0/बीज (विविध)–25/2015 6200 /कृ0, पटना दिनांक 27-12-2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 9/उपा0/बीज (विविध)–25/2015 6200 /कृ0, पटना दिनांक 27-12-2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।